न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/10

1. मोहन लाल आत्मज रामप्रताप उर्फ प्रताप जाति माली निवासी ग्राम ढाणी भवासा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. नाथू लाल ।
3. बाबूलाल ।
4. श्रीमती रामभरोसी पिसरान चौथमल जाति माली निवासीगण ग्राम ढाणी मवासा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
5. श्रीमती घीसी बाई पुत्री उदा पत्नी तुलसीराम माली निवासी ग्राम कैथून जिला कोटा ।
6. कालू लाल ।
7. छोटूलाल
8. मोडूलाल ।
9. बाबूलाल पिसरान रामेश्वर जाति माली निवासीगण ग्राम ढाणी भवासा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
10. श्याम पुत्री रामेश्वर ।
11. सोहन पुत्री रामेश्वर निवासीगण बनास्यापाडा कैथून जिला कोटा ।
12. श्रीमती घींसी बाई आयु 50 वर्ष पत्नी राधाकिशन ।
13. ललिता बाई आयु 24 वर्ष पुत्री श्री राधाकिशन ।
14. भीमराज आयु 20 वर्ष पुत्र स्व0 राधाकिशन ।
15. राधा बाई आयु 16 वर्ष पुत्री स्व0 राधाकिशन अवयस्क जरिये वली माता स्व0 श्रीमती घीसी बाई जाति माली निवासीगण ग्राम ढाणी मवासा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. सूरज कान्ति पुत्री सुखलाल पत्नी भैरूलाल जाति माली निरवासी बेडा का हनुमान जी के पास साबरमती कॉलोनी रेतवली, कोटा ।
2. चन्द्र कलावती पुत्री सुखलाल पत्नी धन्ना लाल जाति माली निवासी बेडा का हनुमान जी के पास साबरमती कॉलोनी रेतवाली कोटा ।
3. भूरी बाई पुत्री सुखलाल पत्नी शिवलाल जाति माली निवासी नन्दकिशोर का दपोला बृजराजपुरा, कोटा ।
4. भैरूलाल आत्मज उदा जाति माली निवासी ग्राम ढाणी भवासा तहसील लाडपुरा जिला कोटा
5. गणेशी पुत्री मथुरा पत्नी छीतर लाल माली निवासी ग्राम ढाणी भवासा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
6. रूपसागर पुत्री मथुरा पत्नी छीतर लाल माली निवासी सुलभ कॉम्प्लेक्स के पास कैथूनीपोल थाने के पीछे कोटा ।
7. राजस्थान राज्य जरिय तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री किशन अग्रवाल, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री भुवनेश शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 1 से 3 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 15.05.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.06.2017 एवं 07.07.2017 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के अन्तर्गत ग्राम भवासा तहसील लाडपुरा की आराजी कुल 18 किता की रकबा 13.34 हैक्टर भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी में राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार वादिनी एवं प्रतिवादी कम 1 व 2 1/3 – 1/3 हिस्से के सहखातेदार हैं । वादिनी अपने हिस्से का विधिवत विभाजन कराने की अधिकारी है ।

3. अतः वादिनी का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी में वादिनी वा प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन किया जाकर वादिनी को उसके हिस्से की आराजी 3/15 का तन्हा कब्जा दिलाया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड में पृथक इन्द्राज किया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.06.2017 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार करते हुए पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित करने का आदेश पारित किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 28.06.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट प्रतिवादीगण ने न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट एसीएम मुख्यालय कोटा के न्यायालय में उपस्थित हुए तो उनके रीडर साहब द्वारा यह बताया गया कि उक्त दोनों पत्रावलियॉ दिनांक 28.06.2017 को निर्णित होकर वादिनी का वाद डिक्री कर दिया गया जिसकी दिनांक 07.07.2017 को डिक्री भी बना दी । अपीलान्ट का प्रस्तुत वाद कन्सोलिडेट होने के कारण स्वतः ही निर्णित है मानकर निर्णित कर दिया जिसकी अपीलान्ट का कोई जानकारी नहीं हुई । उक्त निर्णय की जानकारी होते ही उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की अनुपस्थिति में उक्त निर्णय पारित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रस्तुत वाद को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए निर्णित कर दिया जबकि राजस्व लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें पक्षकारान सहमत हों और सहमति के आधार पर निर्णय करवाना चाहते हों परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान सहमत नहीं थे । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव प्राथमिक डिक्री पारित की है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय एसीएम मुख्यालय कोटा में रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध वाद संख्या 97/2012 मोहन लाल बनाम सूरज कान्ति वगै0 अन्तर्गत धारा 53, 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया । उक्त वाद में रेस्पोडेन्ट ने जवाब प्रस्तुत नहीं कर वाद को स्टे व कन्सोलिडेट करने हेतु आदेन धारा 10 सीपीसी प्रस्तुत किया जिस पर बहस सुन कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के उक्त वाद में दिनांक 11.04.2014 को स्टे जारी कर दिया जिस पर रेस्पोडेन्ट कम 1 द्वारा पेश वाद जैरकार रहा तथा अपीलान्ट द्वारा पेश किये गये वाद की कार्यवाही स्थगित कर दी गई । रेस्पोडेन्ट वादिनी सूरजकान्ती द्वारा प्रस्तुत वाद में प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी तथा आदेश 06 नियम 17 सीपीसी व रिसीवर नियुक्ति के प्रार्थना पत्रों पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 24.04.2017 को दोनों पक्षों की बहस सुनकर आदेश में दिनांक 24.04.2017, 04.05.2017, 12.05.2017, 19.05.2017, 09.08.2017, 11.09.2017 एवं 29.09.2017 पेशियॉ नियत की गई । अपीलान्ट के अधिवक्ता उक्त पेशियों पर उपस्थित होते रहे किन्तु दिनांक 29.09.2017 को अगामी पेशी दिनांक 03.10.2017 नियत की गई तथा दिनांक 16.11.2017 को उक्त मुकदमे में की गई कार्यवाही के बारे में पता करने का कहा गया जिस पर अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता उपस्थित हुए तब उनके रीडर साहब ने बताया किया उक्त वाद का दिनांक 28.06.2017 को निर्णय पारित कर दिया गया है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 28.06.2017 एवं 07.07.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित की है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की गई है । वादग्रस्त आराजी पक्षकारान संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसका अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित की है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । वादिनी रेस्पोडेन्ट अपने हिस्से की भूमि का विधिवत विभाजन कराने की अधिकारी है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 28.06.2017 एवं 07.07.2017 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट द्वारा अपने प्रार्थनापत्र में विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वह उचित प्रतीत होते हैं । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

स्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को राजस्व लोक अदालत में अपीलान्ट को सूचना दिये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव प्राथमिक डिक्री पारित कर दी जो त्रुटिपूर्ण है क्योंकि राजस्व लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें पक्षकारान सहमत हों और सहमति के आधार पर अपने प्रकरण को निस्तारित करवाना चाहते हों परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान सहमत नहीं थे । वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय एसीएम मुख्यालय कोटा में रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध वाद संख्या 97/2012 मोहन लाल बनाम सूरज कान्ति वगै0 अन्तर्गत धारा 53, 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया । उक्त वाद में रेस्पोडेन्ट ने जवाब प्रस्तुत नहीं कर वाद को स्टे व कन्सोलिडेट करने हेतु आदेन धारा 10 सीपीसी प्रस्तुत किया जिस पर बहस सुन कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के उक्त वाद में दिनांक 11.04.2014 को स्टे जारी कर दिया जिस पर रेस्पोडेन्ट कम 1 द्वारा पेश वाद जैरकार रहा तथा अपीलान्ट द्वारा पेश किये गये वाद की कार्यवाही स्थगित कर दी गई । रेस्पोडेन्ट वादिनी सूरजकान्ती द्वारा प्रस्तुत वाद में प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी तथा आदेश 06 नियम 17 सीपीसी व रिसीवर नियुक्ति के प्रार्थना पत्रों पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कई तारीख पेशियॉ दी गई और तत्पश्चात् बिना जानकारी के उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित कर दी जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । उक्त निर्णय राजस्व लोक अदालत की भावना के विरूद्ध पारित किया है जो निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.06.2017 एवं दिनांक 07.07.2017 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह पक्षकारान को सम्पूर्ण सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण के आधार पर दावा एवं जवाबदावा के आधार पर वाद–विवादक बिन्दु कायम कर प्रत्येक वाद–विवादक बिन्दु पर पक्षकारान की साक्ष्य आदि ली जाकर प्रत्येक वाद–विवादक बिन्दु पर अपना स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान दिनांक 25.06.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

13. निर्णय आज दिनांक 15.05.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा